मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक:एफ 5-2/2023/29-2-FCS भोपाल,दिनांक: 04.07.2023

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में गैर न्यायिक सदस्य (अनारक्षित) के 01 पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्ति की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदन भरने में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए किसी भी प्रकार के सुधार / परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक निर्धारित है।

ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि 27 जुलाई, 2023 और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2023 है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की पात्रता निम्नानुसार होगी -

1) आवेदक की न्यूनतम आयु चालीस (40) वर्ष होना चाहिए; आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन के कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी;

2) गैर न्यायिक सदस्य - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 831/2023 (@एसएलपी (सी) नं. 19492/2021), सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 832/2023 सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 833/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 में दी गयी व्यवस्था अनुसार कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य के पद के लिये अभ्यर्थियों, जो निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखते हैं और आवेदन प्रस्तुत करते हैं, के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 831/2023 (@एसएलपी (सी) नं. 19492/2021), सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 832/2023 सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 833/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 में दी गयी व्यवस्था अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य की नियुक्ति 100 अंकों के दो प्रश्नपत्रों वाली परीक्षा निम्नलिखित अनुसार होगी-

पेपर	विषय	परीक्षण की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
पेपर - I	(ए) सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स (सम-सामयिक घटनाक्रम)	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे

	(बी) भारत के संविधान का ज्ञान (सी) अनुसूची 'अ' में निर्दिष्ट विभिन्न उपभोक्ता संबंधी कानूनों का ज्ञान			
पेपर - II	(ए) व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों के मुद्दों से चुने गए विषयों पर एक निबंध। (बी) विश्लेषण की क्षमताओं और आदेशों के ठोस प्रारूपण के परीक्षण के लिए उपभोक्ता मामले का एक केस अध्ययन।	वर्णनात्मक प्रकार	100	3 घंटे

अनुसूची 'अ' (SCHEDULE 'A)

1. The Consumer Protection Act, 2019
2. The Legal Metrology Act, 2009
3. The Bureau of Indian Standards Act, 2016
4. The Competition Act, 2002
5. The FSS Act, 2006
6. The Drugs and Cosmetics Act, 1945
7. The Sale of Goods Act, 1930
8. The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
9. The Electricity Act, 2003
10. The Insurance Act, 1938

इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नपत्र 100-100 अंक का होगा। जिसमें से प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 50 अंकों के साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिये पात्र होंगे। इस प्रकार पूर्णांक 250 अंक का होगा।

सदस्य को देय वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम 2021 के अनुसार होंगी, जो सुलभ सन्दर्भ के लिए संलग्न है। चयन की प्रक्रिया खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट www.food.mp.gov.in तथा म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल की वेबसाईट www.mpscdrc.mp.gov.in पर विज्ञापन के साथ प्रदर्शित है।

नोट – राज्य आयोग के ऐसे सदस्य जिनके दो कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, वे आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

4/7/23

(बी.के. चन्देल)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

1. **रिक्तियां:** प्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के रिक्त तथा रिक्त होने वाले पद के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार पदों की पूर्ति की कार्यवाही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की जायेगी। सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक निर्धारित है।

2. आवेदन पत्रों का आमंत्रण - उपरोक्तानुसार पदों की पूर्ति के संदर्भ में विभाग द्वारा समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन खाद्य विभाग तथा राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक निर्धारित प्ररूप में ऑनलाईन आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या को दर्शाया जायेगा।

3. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य पद हेतु पात्रता -

क) आवेदक की न्यूनतम आयु चालीस (40) वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन के कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी;

ख) न्यायिक सदस्य के मामले में - किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव;

अथवा

ग) गैरन्यायिक सदस्य के मामले में - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 831/2023 (@एसएलपी (सी) नं. 19492/2021), सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 832/2023 सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 833/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 में दी गयी व्यवस्था अनुसार कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव।

4. चयन की प्रक्रिया:- राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 831/2023 (@एसएलपी (सी) नं. 19492/2021), सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 832/2023 सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 833/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 में दी गयी व्यवस्था अनुसार राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति 100 अंकों के दो प्रश्नपत्रों वाली लिखित परीक्षा निम्नलिखित के अनुसार होगी-

पेपर	विषय	परीक्षण की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
पेपर - I	(ए) सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स (समसामयिक घटनाक्रम) (बी) भारत के संविधान का ज्ञान (सी) अनुसूची 'अ' में निर्दिष्ट विभिन्न उपभोक्ता संबंधी कानूनों का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
पेपर - II	(ए) व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों के मुद्दों से चुने गए विषयों पर एक निबंध। (बी) विश्लेषण की क्षमताओं और आदेशों के ठोस प्रारूपण के परीक्षण के लिए उपभोक्ता मामले का एक केस अध्ययन।	वर्णनात्मक प्रकार	100	3 घंटे

अनुसूची 'अ' (SCHEDULE 'A)

1. The Consumer Protection Act, 2019
2. The Legal Metrology Act, 2009
3. The Bureau of Indian Standards Act, 2016
4. The Competition Act, 2002
5. The FSS Act, 2006
6. The Drugs and Cosmetics Act, 1945
7. The Sale of Goods Act, 1930
8. The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
9. The Electricity Act, 2003
10. The Insurance Act, 1938

इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नपत्र 100-100 अंक का होगा। जिसमें से प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 50 अंकों के साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिये पात्र होंगे। इस प्रकार पूर्णांक 250 अंक का होगा।

उक्त लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के सम्मिलित परिणाम में समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी -

i. प्रथमतः जन्मतिथि के आधार पर कनिष्ठ को वरीयता।
ii. द्वितीयतः स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता।
iii. तृतीयतः हायर सेकेंडरी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता।

5. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति पश्चात सदस्य को राज्य आयोग की श्रृंखला बैठकों में सम्मिलित होना बाध्यकारी होगा।

6. राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अनर्हता- कोई व्यक्ति, राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,

(1) ऐसे किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो; अथवा

(2) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा

(4) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा

(5) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

7. निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, आवेदक/उम्मीदवार अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और/या चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं :

i. यदि वह न्यायिक सेवा या सरकारी या वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत, हटाया या बर्खास्त कर दिया गया है; या

ii. यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी मामले में दोषी ठहराया गया है; या

iii. यदि उसे संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित चयन के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है; या

iv. यदि उसे मध्य प्रदेश की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी अवधि के लिए दंडित किया गया है; या

v. यदि उसे अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है; या

vi. यदि वह अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती प्राधिकारी को प्रभावित करता है; या

vii. यदि उसके एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं; या

viii. यदि दिनांक 26.1.2001 के बाद उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं; परन्तु ऐसा कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा जिसकी पूर्व में एक संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् होता है, जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म एक साथ होता है; या

ix. यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया है; या

x. यदि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो वह आवेदित पद के लिए अयोग्य हो जाएगा; या

xi. अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई जाली दस्तावेज बनाना या जमा करना; या

xii. यदि वह चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के किसी भी चरण में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी प्रदान करता है; या

xiii. यदि वह साक्षात्कार के दौरान, किसी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति को परेशान करता है या धमकी देता है या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है या दुर्व्यवहार करता है; या

xiv. प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी रूप में प्रचार करना भी अयोग्यता होगी। इसी प्रकार, किसी उम्मीदवार की ओर से प्रभावशाली व्यक्तियों या सरकार के अधिकारियों के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास भी उसे उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

8. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य पद हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, न ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार पात्रता के आधार पर वेतन भत्ते लाभदेय होंगे।

9. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य पद की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(12) में वर्णित शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी।

10. साक्षात्कार के पूर्व अथवा दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

11. साक्षात्कार उपरांत नियुक्ति के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त (Credential) सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

4/7/23

(बी.के. चन्देल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2021—श्रावण 26, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

एफ 5-4-2020-उन्नीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएँ.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 का 35);

(ख) 'जिला आयोग' से अभिप्रेत है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग;

(ग) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का सदस्य;

(घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का अध्यक्ष;

(ङ) 'राज्य आयोग' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग;

(च) 'राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार,

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये सपनुदेशित हैं.

3. जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते. (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों का हकदार होगा, जो किसी प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय हैं.

(2) सदस्य, राज्य सरकार के किसी अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि को कटौती की जाएगी और उसे कार्यकाल के दौरान पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी.

(4) अध्यक्ष और सदस्य के वेतन 3% की दर से वार्षिक वेतनोत्तर वृद्धि की जाएगी.

4. राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते.—(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष ऐसे वेतन, अन्य भत्तों और सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय है.

(2) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य शासन के उस सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन बराबर वेतन तथा ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते वेतन प्राप्त करेगा.

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि को कटौती की जाएगी और उसे कार्यकाल के दौरान पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी

(4) सदस्य के वेतन में 3% की दर से वार्षिक वेतनोत्तर वृद्धि की जाएगी,

5. चिकित्सीय उपयुक्तता.—किसी भी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संबंधित सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता.

6. आकस्मिक रिक्ति.—(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में राज्य शासन को ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करने का अधिकार होगा;

परन्तु जहां कोई राज्य का सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, राज्य आयोग का सदस्य है, या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहां ऐसे सदस्यों में से ज्येष्ठतम व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा.

(2) यदि किसी समय जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति होती है तो अध्यक्ष राज्य आयोग किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का उपयोग करने और कृत्यों के निर्वहन करने का निर्देश दे सकेगा, जब तक कि रिक्त पद की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है.

7. **मकान किराया भत्ता.**—(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष, शासकीय बंगला उपलब्ध न होने की दशा में राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय दर के समान दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, शासकीय बंगला उपलब्ध न होने की दशा में प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे.

8. **परिवहन भत्ता.**—(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर परिवहन भत्ते के हकदार होंगे.

9. **छुट्टी और चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं.**—(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

(3) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे.

10. **वित्तीय एवं अन्य लाभों की घोषणा.**—अध्यक्ष अथवा सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले अपनी आस्तियों, और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य लाभों की घोषणा करेगा.

11. **सेवा की अन्य शर्तें.**—(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, निम्नानुसार होंगी :—

(क) राज्य आयोग के अध्यक्ष के मामले में राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के लिये उपबंधित हैं,

(ख) जिला आयोग के अध्यक्ष के मामले में प्रमुख जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के लिये उपबंधित है;

(ग) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य के मामले में तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है,

(घ) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्ति के मामले में उनका वेतन प्राक्कलित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा.

(ङ) कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति के मामले में उस अध्यक्ष या सदस्य को पूर्व कार्यकाल समाप्ति के एक माह पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी.

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, से कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा.

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में इन क्षमताओं में काम करते समय किसी प्रकार का मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा.

(4) यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, का अध्यक्ष अथवा सदस्य उस तारीख से जिससे वे पद पर नहीं रह जाते हैं, दो वर्षों की अवधि तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन अथवा प्रशासन में अथवा उससे संबंधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा हो :

परंतु इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय शासन अथवा किसी राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी.

12. पद और गोपनीयता की शपथ.—अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में प्ररूप I में दी गई पद की शपथ तथा प्ररूप 2 में दी गई गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा.

13. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों की अदायगी राज्य सरकार की संचित निधि से की जाएगी.

14. जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियंबधन और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा

परिशिष्ट-1

प्ररूप-I

(नियम 12 देखें)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ... (नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग . . . . . (स्थान)/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग . . . . . (स्थान) का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूँगा तथा किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूँगा तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूँगा.

. . . . . .

(हस्ताक्षर एवं नाम)

प्ररूप-II

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, ... (नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग . . . . . (स्थान)/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग . . . . . (स्थान) का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये यथाअपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा.

. . . . . .

(हस्ताक्षर एवं नाम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

एफ 5-4-2020-उनतीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4-2020-उनतीस-2, दिनांक 17 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

Bhopal, the 17th August 2021

F. 5-4-2020-XXIX-2. —In exercise of the powers conferred under Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'District Commission' means District Consumer Disputes Redressal Commission;

(c) 'Member' means a Member of the District Commission or the State Commission as the case may be;

(d) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(e) 'State Commission' means The Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission;

(f) 'State Government' means the Government of Madhya Pradesh;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Salaries and allowances payable to President and members of District Commission.**—(1) The President shall be entitled to the salary, allowance and all the facilities as are admissble to a Principal District Judge/District Judge prescribed by the State Government.

(2) A Member shall received a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Under Secretary of the State Government and other allowances as admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the amount of pension drawn by him during his/her entire service as President or Member shall not claim relief on the pension drawn by him/her.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the President and member at the rate of 3%.

4. **Salaries and allowances payable to President and members of the State Commission**—(1) The President of the State Commission shall be entitled to the salary, other allowances and all the facilities as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.

(2) A Member of the State Commission shall receive a pay equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government and other allowances as are admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the amount of pension drawn by him during his/her entire service as President or Member, shall not claim relief on the pension drawn by him/her.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of a member at the rate of 3%.

5. **Medical fitness.**—No person shall be appointed as President or Member unless he/she is declared medically fit by the concerned Civil Surgeon/District Medical Officer.

6. **Casual Vacancy.**—(1) In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission, the State Government shall have the power to appoint the senior most Member to officiate as President.

Provided that where a retired Judicial Officer of the State is a member of the State Commission, or where the member of such members is more than one, the senior most person amongst such members, shall be appointed by the State Government to officiate as President.

(2) If, at any time, there is a casual vacancy in the office of President or Member of a District Commission, the President of the State Commission shall have the power to direct the President or a Member of any other District Commission to exercise the powers and discharge the functions of the President or Member of that District Commission till appointment against the vacant post is made by the State Government.

7. **House rent allowance.**—(1) The President of the State Commission, in case of non-availability of official bungalow, shall be entitled to house rent allowance as is admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commission, in case of non-availability of official bungalow shall be entitled to house rent allowance as is admissible to a District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer

8. **Transport allowance.**—(1) The President of the State Commission, shall be entitled to transport allowance as is admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commission shall be entitled to transport allowance as is admissible to a Principal District Judge/District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to transport allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government.

9. **Leave and medical treatment and hospital facilities.**—(1) The President of the State Commission shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatment and hospital facilities as are admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

(2) The President of the District Commission shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatement and hospital facilities as are admissible to a Principal District Judge/District Judge.

(3) The Members of the State Commission and District Commission shall be entitled to leave, leave travel concession, medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group 'A' Officer of the State Government

10. **Declaration of Financial and other Interest.**— The President or member shall, before entering upon his office, declare his assests, and his liabilities and financial and other interests.

11. **Other conditions of service.**—(1) The terms and conditions of service of the President or Member with respect to which no expressed provision has been made in these Rules, shall be as follows :

(a) In case of the President of the State Commission it shall be such as are provided to a sitting Judge of the High Court of the State.

(b) In case of the President of the District Commission it shall be such as are provided to a principal District Judge/District Judge.

(c) In case of the Members of the State Commission and District Commission it shall be such as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

(d) In case of re-appointment of president or members, the salary shall be fixed at the minimum of prescribed pay scale.

(e) In case of re-appointment of a president or member before the end of the tenure, that president or member shall be eligible to join after one month of the completion of the prior tenure.

(2) The President or member shall not practice before the National Commission, the State Commission or the District Commission after expiration of tenure from the service of the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(3) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(4) The President or member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the State Commission or the District Commission:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

12. **Oaths of office and secrecy.**—Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in Form I and oath of secrecy in Form II annexed to these rules in annexure I.

13. The Salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

14. The terms and conditions of the service of the President and the members of the District Commission and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

ANNEXURE-I
[See Rule 12]

FORM-I

Form of Oath of Office of the President and Member of the State Commission and District Commission

I, ... (Name), having been appointed as the President/Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place)/District Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place) do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

. . . . . .
(Signature and Name)

FORM II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, ... (Name), having been appointed as the President/Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place)/District Consumer Disputes Redressal Commission, ... (Place) do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

. . . . . .
(Signature and Name)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMAKANT PANDEY, Dy. Secy.

मुद्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.